

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/16
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00016
CICOM/R/2015/01044
अपीलकर्ता : श्री सुरेन्द्र सिंह,
एल.आई.जी. 69, जी ब्लॉक,
गुजैनी, कानपुर,
उत्तर प्रदेश - 208022.

दिनांक: 06.04.2016

निर्णय की तारीख: 06.04.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.10.2015
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	16.11.2015,
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री अविनाश चन्द्र पटेल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.12.2015
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	184082/23.12.2015
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	617/29.12.2015

- अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से तीन बिंदुओं पर मुख्य सूचना आयुक्त के स्तर पर द्वितीय अपील के निस्तारण हेतु निर्धारित समय सीमा से संबंधित जानकारी मांगी थी कि जिसके प्रतिउत्तर में श्री अविनाश चन्द्र पटेल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वांछित सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है। अपीलकर्ता ने अभियोग लगाया है कि संबंधित सूचना उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
- संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री अविनाश चन्द्र पटेल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना पूर्णतः सही है। जन सूचना अधिकारी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वांछित सूचना आयोग की वेबसाइट www.cic.gov.in पर Notification Column में उपलब्ध है। वेबसाइट की जांच करने पर पाया गया कि संबंधित सूचना वेबसाइट www.cic.gov.in पर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005(RTI Act, 2005) तथा सूचना का अधिकार नियम, 2012 (*The Right to Information Rules, 2012*) Notification Column में उपलब्ध है। अतः अपीलकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि श्री अविनाश चन्द्र पटेल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का सावधानी पूर्वक अवलोकन करें और दिए गए वेबसाइट से सूचना प्राप्त करें।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरी (प्रथम अपीलीय अधिकारी) के पास कार्य की अधिकता एवं हिंदी टंकण जानने वाले कार्मिक की अनुपलब्धता के कारण अपील के विप्लवान में हुई देरी के लिए खेद है।

प्रतिनिधि :
1. जन सूचना अधिकारी आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

